न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्या 1069/2025

अपीलाण्ट :–

1. मांगीलाल पुत्र सहीराम जाति विश्नोई निवासी–बिरमनगर, तहसील फलौदी व जिला फलौदी

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. जिला कलेक्टर, फलौदी
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी।
3. ग्राम पंचायत, रड़काबेरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, रड़काबेरा तहसील व जिला–फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जो जिला कलेक्टर, फलौदी के द्वारा आदेश क्रमांक प.12 (3–) राज/आवंटन/प0चि0उ0के0–रड़काबेरा (01945)/2025 1361 दिनांक 06.10.2025 को पारित किया गया।

उपस्थिति

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता, अपीलाण्ट् की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः 10 दिसम्बर, 2025

1. अपील पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत रड़काबेरा के द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर ग्राम रड़का बेरा के ख0सं0 355 रकबा 0.9712 हैक्टर गै0मु0 गोचर में से 100 बाई 100 वर्गफूट भूमि आवंटन की जाती है और मार्ग दिया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है एवं ग्राम बिरमनगर के ख0सं0 107/2 रकबा 0.8094 हैक्टर भूमि की क्षतिपूर्ति की जाती है तो ग्राम पंचायत रड़काबेरा को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत के उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर तहसीलदार, फलौदी के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अनुशंषा उपखण्ड अधिकारी, फलौदी को की गई। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा दिनांक 4.9.2025 को उक्त प्रस्ताव पर अपनी अनुशंषा करते हुए जिला कलेक्टर फलौदी को अग्रेषित कर दिया। उक्त अनुशंषा के आधार

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पर जिला कलेक्टर फलौदी के द्वारा ग्राम रड़का बेरा के ख0सं0 355 रकबा 0.9712 हैक्टर गै0मु0 गोचर में से 0.0929 हैक्टर पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, रड़काबेरा हेतु पशुपालन विभाग फलौदी को भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है तथा आवंटित भूमि की किस्म गैर0मु0 गोचर होने के कारण क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम बिरमनगर के ख0सं0 107/2 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी–तृतीय में से 0.0929 हैक्टर भूमि गोचर घोषित करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2025 को कर दिया गया। जिला कलेक्टर, फलौदी के उक्त आदेश दिनांक 06.10.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2025को प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने अपील पेश करने हेतु धारा 96 सीपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स ग्राम बिरमनगर के उक्त खसरा संख्या 107/1 का रेकर्डेड सहखातेदार है, अपीलार्थी के पिता के द्वारा इस खातेदारी भूमि में से आने हेतु रास्ते के लिये दिनांक 15.04.2008 को राज्य सरकार को समर्पित की गई जिसका नया ख0सं0 107/2 राजकीय भूमि के रूप में दर्ज हुआ। ग्राम पंचायत के द्वारा पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, रड़काबेरा हेतु भूमि आवंटन करने हेतु पारित प्रस्ताव पर अपीलार्थी को बिना सुने ही अपीलार्थी के पिता द्वारा समर्पित की गई भूमि की किस्म गै0मु0गोचर परिवर्तित कर दी गई। इस कारण से अपीलान्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है एवं उन्हें अपील पेश करने का कानूनी अधिकार है अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में एवं अन्य सहखातेदारों के द्वारा ग्राम बिरमनगर के उक्त खसरा संख्या 107/1 रकबा 122 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से 05.00 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये समर्पण पत्र रास्ते के लिये दिनांक 15.04.2008 को राज्य सरकार को समर्पित की गई जिसका नया ख0सं0 107/2 राजकीय भूमि के रूप में दर्ज हुआ जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ समर्पित की गई थी। अपीलार्थी के पिता फौत हो चुके है। रास्ते हेतु समर्पित की गई भूमि की किस्म अन्य रूप में परिवर्तित करवाने का कोई उद्धेश्य नहीं था। इसके अतिरिक्त ग्राम रड़काबेरा अलग ग्राम है एवं बिरमनगर अलग ग्राम है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

6.10.2025 के द्वारा ग्राम रड़काबेरा के ख0सं0 355 गैर मुमकिन गोचर में से जो भूमि पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, रड़काबेरा हेतु आवंटित की गई है, उसकी क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम रड़काबेरा में स्थित अन्य राजकीय भूमि में से क्षतिपूर्ति कानूनन गैर मुमकिन गोचर में से की जानी चाहिये थी क्योंकि ग्राम पंचायत के खाते में तथा अन्य राजकीय भूमि उपलब्ध रही है। फिर भी दुराश्य से ग्राम बिरमनगर में अपीलार्थी की समर्पित भूमि को गोचर भूमि हेतु आवंटन कर दिया गया है जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं है।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि उक्त ख0सं0 107/2 जो कि रास्ते हेतु समर्पित की गई थी, ऐसे में उसे गोचर भूमि बना दी गई तो अपीलार्थी को अपार नुकसान होगा। इसके अतिरक्त ग्राम पंचायत के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव तैयार करते समय तथा पारित करते समय ग्राम बिरमनगर के किसी भी नागरिक को एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है और ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा अपने ग्राम रड़काबेरा में स्थित गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति अपीलार्थी की समर्पित की गई भूमि ग्राम बिरमनगर के ख0सं0 107/02 में से पारित करने में कानूनी भूल की है। कानूनी रूप से किसी भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश नियम विरूद्ध पारित होने से निरस्त करने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अन्त में यह कथन किया कि उपरोक्त समस्त तथ्यों पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा श्रीमान जिला कलेक्टर, फलौदी के द्वारा पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, ग्राम रड़काबेरा हेतु किये गये भूमि आवंटन के क्षतिपूर्ति हेतु अपीलार्थी के ग्राम बिरमनगर के ख0सं0 107/2 की 5.00 बीघा भूमि को उनके समर्पणनामें के अनुसार राज्य सरकार के अधीन ही रखी जावे तथा उसे गोचर घोषित करने बाबत पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2025 को निरस्त किया जावें।

6. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि ग्राम पंचायत रड़काबेरा के द्वारा दिनांक 19.08.2025 को एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु राजस्व ग्राम रड़का बेरा के ख0सं0 355 रकबा 0.9712 हैक्टर गै0मु0 गोचर में से 100 बाई 100 वर्गफूट भूमि आवंटन की जाती है और इस तक पहुंचने हेतु मार्ग दिया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

एवं ग्राम बिरमनगर के ख0सं0 107/2 रकबा 0.8094 हैक्टर राजकीय भूमि में उपरोक्त भूमि की क्षतिपूर्ति की जाती है तो ग्राम पंचायत रड़काबेरा को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त अनापति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त जारी किया गया था। ग्राम पंचायत के उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर तहसीलदार, फलौदी, उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा उक्त भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर अपनी अनुशंषा करते हुए जिला कलेक्टर फलौदी को प्रकरण अग्रेषित कर दिया। उक्त अनुशंषा के आधार पर जिला कलेक्टर फलौदी के द्वारा ग्राम रड़का बेरा के ख0सं0 355 रकबा 0.9712 हैक्टर गै0मु0 गोचर में से 0.0929 हैक्टर पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, रड़काबेरा हेतु पशुपालन विभाग फलौदी को निःशुल्क आवंटित करते हुए आवंटित भूमि की किस्म गैर0मु0 गोचर होने के कारण भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य ग्राम बिरमनगर के ख0सं0 107/2 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी–तृतीय में से 0.0929 हैक्टर भूमि गोचर घोषित करने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2025 को पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से विधि के अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य है।

7. रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने हेतु प्रस्तुत किये गये अनुमति प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्य भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलान्ट के पिता एवं अन्य सहखातेदारों ने दिनांक 15.4.2008 को ग्राम बिरमनगर में स्थित अपनी निजी खातेदारी के ख0सं0 107/1 में से 5.00 बीघा भूमि राज्य सरकार को समर्पित की थी तथा समर्पण करने के पश्चात उसके नये ख0सं0 107/2 अंकित होकर भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गई थी। ऐसे में राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज हो जाने के पश्चात समर्पणकर्ताओं का किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर कोई उज्र एतराज नहीं बनता है और न ही उनके द्वारा समर्पण की गई भूमि को राज्यहित में उपभोग व उपयोग में लेने हेतु किसी प्रकार से बाधित कर सकते है। इसके अतिरिक्त ग्राम बिरमनगर के ख0सं0 107/2 की उक्त 5.00 बीघा भूमि को गोचर घोषित कर दिये जाने से अपीलार्थी के आवागमन के रास्ते पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो कि नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। ख0सं0 107/1 के लगभग 10 सहखातेदारों के द्वारा उक्त 5.00 बीघा भूमि समर्पित की गई थी, जिसमें से मात्र एक सहखातेदार सहीराम का पुत्र मांगीलाल के द्वारा यह अपील पेश की गई है, अन्य किसी सहखातेदार को ऐसा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उज्र एतराज नहीं होना प्रकट होता है। ऐसे में अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.10.2025 से किसी प्रकार से न तो प्रभावित है और न ही अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट्स की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जावें तथा जिला कलेक्टर, फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.10.2025 को यथावत रखा जावे।

8. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर, फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.10.2025 को इस अपील के जरिये दिनांक 28.10.2025 को चुनौती प्रस्तुत की गई है, जिला कलेक्टर, फलौदी के द्वारा पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, रड़काबेरा हेतु ग्राम पंचायत रड़काबेरा के द्वारा उक्त ख0सं0 355 किस्म गैर मुमकीन गोचर में से 0.0929 हैक्टर भूमि आवंटन योग्य होने तथा उपयुक्त होने एवं उक्त गोचर भूमि के बदले अन्य ग्राम बीरमनगर के ख0सं0 107/2 किस्म बारानी तृतीय में से 0.0929 हैक्टर भूमि गोचर दिये जाने सम्बन्धी पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 6 के अनुसार तहसीलदार, फलौदी, उपखण्ड अधिकारी, फलौदी से प्राप्त रिपोर्ट/ अनुशंषा के आधार पर उपरोक्त भूमि आवंटन प्रकरण का नियमों के अधीन विश्लेषण करने के उपरान्त ही पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, रड़काबेरा हेतु भूमि आवंटन किये जाने के आदेश दिनांक 6.10.2025 को पारित किये गये है जो पूर्ण रूप से विधि के अनुकूल होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उक्त भूमि जो कि वर्तमान समय में राजकीय खाते में दर्ज हो चुकी है, इस कारण उक्त्त प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि होने से अपीलाण्ट का अपील पर कोई Locus Standi भी नही बनती है क्योंकि अपीलान्ट के पिता एवं अन्य सहखातेदारों ने दिनांक 15.4.2008 को ग्राम बिरमनगर में स्थित उनकी निजी खातेदारी के ख0सं0 107/1 में से 5.00 बीघा भूमि राज्य सरकार को समर्पित की थी तथा समर्पण करने के पश्चात उसके नये ख0सं0 107/2 अंकित होकर भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गई थी। ऐसे में राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज हो जाने के पश्चात भूमि पर उनका कोई उजर नहीं बनता है और न ही उनके द्वारा समर्पण की गई भूमि को राज्यहित में उपभोग व उपयोग में लेने हेतु किसी प्रकार से बाधित कर सकते है। इसके अतिरिक्त ग्राम बिरमनगर के ख0सं0 107/2 की उक्त 5.00

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बीघा भूमि को गोचर घोषित कर दिये जाने से आवागमन के रास्ते पर किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित नहीं हो रहा है। ख0सं0 107/1 के लगभग 10 सहखातेदारों के द्वारा उक्त 5.00 बीघा भूमि समर्पित की गई थी, जिसमें से मात्र एक सहखातेदार सहीराम का पुत्र मांगीलाल के द्वारा यह अपील पेश की गई है, अन्य किसी सहखातेदार द्वारा ऐसा कोई उजर पेश नहीं किया गया है। अतः उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने, सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.10.2025 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त जोधपुर